

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2022/344

दिनांक :- २५.5.2022

मुकदमा नंबर 82/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बुधाराम पुत्र उदाराम 2. कूपाराम पुत्र बुधाराम जातियान मेघवाल निवासीयान रिछौली, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. नरसिंगाराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल 2. गनी वल्द मेरद्वीन 3. नसीर वल्द मेरद्वीन 4. अनवर खां वल्द मेरद्वीन 5. शाबीर खां वल्द मेरद्वीन 6. सुमार खां वल्द फाजल खां जातियान मुसलमान 7. अमृतीदेवी पत्नी विशनाराम 8. सुमित्रा पत्नी हरजीराम 9. गनी वल्द तालब खां जाति मुसलमान 10. जमाल वल्द खमराखां 11. गफूर खां वल्द खमराखां 12. अमीर खां वल्द अलाद्वीन जातियान मुसलमान निवासीयान रिछौली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर । 13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 18.05.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रिछौली पटवारी क्षेत्र रिछौली भू-निरीक्षक पाटोदी तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 566/324 रकबा 0-06 बीघा, खसरा संख्या 448/324 रकबा 07-15 बीघा, खसरा संख्या 570/324 रकबा 0-06 बीघा, खसरा संख्या 507/324 रकबा 8-14 बीघा है। विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीश्नर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक /रीडर/ 2022/345

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

दिनांक :- २५/५/२२

1. तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा